गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–2जी/अजाविनि–07/2012–

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा (भा0प्र0से0),
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

130 dt 22.02.18.

पटना, दिनांक–

विषयः–**वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि) को सहायक अनुदान–वेतन एवं सहायक अनुदान–गैर वेतन हेतु कुल रू0 861.16 लाख (आठ करोड़ इकसठ लाख सोलह हजार रू0) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

2– गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि ''मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष''–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मो को सहायता–उप शीर्ष–0001–बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम पटना–मांग सं0–44–विषय शीर्ष–3104–सहायक अनुदान–वेतन एवं 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड–44–2225011900001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

उपरोक्त मद में वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए गैर योजना मद में उदव्यय एवं बजट प्रावधान(द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से) है।

कमांक	विषय शीर्ष	विवरणी	वार्षिक व्यय विवरणी (राशि रू0 में)
1	3104	सहायक अनुदान–वेतन	रू0 7,79,49,000
2	3106	सहायक अनुदान–गैर वेतन	रू0 81,67,000

3– उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी उप निदेशक(मु0), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना बिहार होगें। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना के पी0 एल0 खाता सं0–283 में हस्तांतरित करेंगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/4/98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2018 तक विभाग को उपलब्ध करा देगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं0–2 जी/अजाविनि–07/2012– के माध्यम से सहमति प्राप्त है।

8– इस राशि की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/जी अजाविनि–07/2012– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 2/जी अजाविनि–07/2012– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/जी अजाविनि–07/2012– 130 पटना, दिनांक– 22.02.18

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव/उप निदेशक(मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/सांख्यिकी कोषांग /बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22.2.18
सरकार के सचिव।